Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 30-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017 (MAGHA 28, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 फरवरी, 2017

संख्या 13/12/2016–3टी(I).– मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 28, 38, 65, 96, 107 तथा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 13/12/2016–3टी(I) दिनांक 6 जनवरी, 2017 के प्रति–निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा मोटर यान (संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा मोटर यान नियम, 1993, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 229 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"229. वर्दी (धारा 213).–(1) क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों में तैनाती के समय परिवहन विभाग (नियामक विंग) के परिवहन निरीक्षक तथा परिवहन उप–निरीक्षक की वर्दी निम्न प्रकार से होगी:–

गर्मियों के लिए :

1. खाकी पैंट
2. खाकी कमीज
3. बैज सहित पीक्ड कैप या खाकी पगड़ी या नीली गोल कैप
4. खाकी डोरी के साथ सीटी
5. भूरे (ब्राउन) जूते
6. खाकी जुराब
7. बैज के साथ ब्राउन बैल्ट
8. "ह.प." अक्षरों के साथ कन्धे पर अधिचिह्न

सर्दियों के लिए :

1. खाकी सरज की पैंट
2. खाकी सरज की कमीज
3. बैज सहित पीक्ड कैप या खाकी पगड़ी या नीली गोल कैप
4. खाकी डोरी के साथ सीटी
5. भूरे (ब्राउन) जूते
6. खाकी जुराब
7. बैज के साथ ब्राउन बैल्ट
8. "ह.प." अक्षरों के साथ कन्धे पर अधिचिह्न

पीक्ड कैप, बैल्ट तथा कन्धे के तारे के लिए अधिचिह्न :

(i) परिवहन उप–निरीक्षक .... दो स्टार

(ii) परिवहन निरीक्षक .... तीन स्टार :

परन्तु परिवहन विभाग (नियामक विंग) के वर्ग IV के कर्मचारियों की क्षेत्रीय कार्यालय में प्रवर्तन ड्यूटी के समय वर्दी निम्न प्रकार होगी :–

गर्मियों के लिए :

1. खाकी पैंट
2. खाकी कमीज
3. बैरट कैप/खाकी पगड़ी
4. खाकी डोरी के साथ सीटी
5. काले जूते
6. खाकी जुराब
7. काली बैल्ट
8. "ह.प." अक्षरों के साथ कन्धे पर अधिचिह्न

सर्दियों के लिए :

1. खाकी सरज की पैंट
2. खाकी सरज की कमीज
3. बैरट कैप/खाकी पगड़ी
4. खाकी डोरी के साथ सीटी
5. काले जूते
6. खाकी जुराब
7. काली बैल्ट
8. "ह.प." अक्षरों के साथ कन्धे पर अधिचिह्न

(2) अधिचिह्न, बैल्ट का बैज़, कैप का बैज़, कन्धे के तारे तथा अक्षर छठी अनुसूची में सचित्र दर्शाये गये डिज़ाईन तथा विवरण के अनुसार होंगे।

(3) सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी पर न होने पर तथा फैंन्सी ड्रेस नाच या नाटक या अन्य मनोंरजन में अभिनय करते समय वर्दी नहीं पहनी जायेगी और यह किसी अन्य व्यक्ति के उपयोग में लाने के लिए उधार नहीं दी जायेगी।

(4) परिवहन विभाग (नियामक विंग) के वर्ग–1 तथा वर्ग–2 के अधिकारियों से भिन्न कोई अधिकारी अधिनियम द्वारा या इन नियमों के अधीन किसी वाहन को तब तक न तो रूकवाएगा, न ही उसे खड़ा रखेगा, न ही इसमें प्रवेश करेगा, न यात्रा करेगा और न इसका निरीक्षण करेगा और न ही इसमें अपनी ड्यूटी निभायेगा जब तक कि उसने वर्दी न पहनी हो और अधिचिह्न न लगाया हो तथा उसके पास पहचान–पत्र न हो।"।

3. उक्त नियमों में, पांचवी अनुसूची के बाद, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

"छठी अनुसूची

(देखिए हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 का नियम 229(2))

अधिचिह्न तथा बैज़

हरियाणा परिवहन

कैप, पगड़ी अथवा बैरट कैप तथा बैल्ट पर दर्शाया जाने वाला बैज़

वृत का व्यास	—	38 मि.मि.
अन्तर्वृत का व्यास	—	19 मि.मि.

कन्धे की पट्टिका पर दर्शाये जाने वाले तारे

ये भारतीय पैटर्न पर, 25.4 मि.मि. चौड़े तथा मध्य में बिना किसी डिज़ाईन के होंगे।

ह. प. कन्धे की पट्टिका पर दर्शाये जाने वाले अक्षर

अशोक स्तम्भ, तारे, टोपी / बैल्ट का बैज़ तथा अक्षर सफेद धातु के होंगे।"।

एस.एस.ढिल्लों,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 17th February, 2017

No. 13/12/2016-3T(I).— In exercise of the powers conferred by Sections 28, 38, 65, 96, 107 and 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), and with reference to Haryana Government, Transport Department, notification no. 13/12/2016 3T(I), dated the 6th January , 2017, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2017.

2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 (hereinafter called the said rules), for rule 229, the following rule shall be substituted, namely:-

"229. Uniform. [Section 213].- (1) The uniform of the Transport Inspector and Transport Sub-Inspector of the Transport Department (Regulatory Wing) while posted in field offices i.e. Regional Transport Authorities shall be as under :-

For Summer :

1. Trousers Khakhi
2. Shirt Khakhi
3. Peaked Cap or Turban Khakhi or Blue Beret Cap with badge

4. Whistle with Khakhi Cord
5. Shoes Brown
6. Socks Khakhi
7. Belt Brown with Badge
8. Shoulder Insignia with letters "ह.प."

For Winter :

1. Trousers Khakhi serge
2. Shirt Khakhi serge
3. Peaked cap or Turban Khakhi or Blue Beret Cap with badge
4. Whistle with Khakhi cord
5. Shoes Brown
6. Socks Khakhi
7. Belt Brown with Badge
8. Shoulder Insignia with letters "ह.प."

Insignia for Peaked Cap and Belt and Shoulder Stars.

(i)	Transport Sub Inspector	:	Two Star
(ii)	Transport Inspector	:	Three Star

Provided that the uniform for Class IV officials of Transport Department (Regulatory Wing) posted in the field offices while on enforcement duty shall be as under:-

For Summer :

1. Trousers Khakhi
2. Shirt Khakhi
3. Beret Cap/ Turban Khakhi
4. Whistle with Khakhi Cord
5. Shoes Black
6. Socks Khakhi
7. Belt Black
8. Shoulder Insignia with letters "ह.प."

For Winter :

1. Trousers Khakhi serge
2. Shirt Khakhi serge
3. Beret Cap/Turban Khakhi
4. Whistle with Khakhi Cord
5. Shoes Black
6. Socks Khakhi
7. Belt Black
8. Shoulder Insignia with letters "ह.प."

(2) The insignia, belt Badge, cap badge, shoulder stars and letters shall be of design and descriptions, illustrated in the Sixth Schedule.

(3) The uniform shall not be worn by the concerned officials while not on duty and at fancy dress balls, in dramatic performance or other entertainment and it shall not be lend for use to any other person.

(4) No officer, other than the class I and II of Transport Department (Regulatory Wing) shall cause a vehicle to stop, keep it stationary to enter, travel, inspect, carry out any duty imposed by or under the Act or these rules unless he is wearing the uniform and insignia and is carrying the identity card.

3. In the said rules, after the fifth schedule, the following schedule shall be inserted, namely.-

"Sixth Schedule

(see rule 229(2) of the Haryana Motor Vehicle Rules, 1993)

Insignia and Badges

Badge to be displayed on Cap, Turban or Beret cap and Belt.

Diameter of the circle – 38 mm
Diameter of the inner circle – 19 mm

Stars to be displayed on shoulder strap

These shall be of Indian pattern, 25.4 mm broad and shall be without any design in the centre.

ह. प.

Letters to be displayed on shoulder strap

The Ashok Emblem, Stars, Cap/Belt badge and letters shall be of white metal."

S.S DHILLON,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Transport Department

55022—C.S.—H.G.P., Chd.